न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द्र शर्मा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 148/2016

1. अमरजीत सिंह पुत्र दलीपसिंह जाति मजहबीसिख निवासी वी.पी.ओ. मटीलीराठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91 आर.टी.ए. सपठित धारा 136, भू.–राजस्व अधिनियम, बर बिनाय साक्ष्य हर किस्म

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री राजेश गुम्बर अधिवक्ता — वादीगण
2. पैरोकार राज — प्रतिवादी

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 26.09.2016

वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 91 आर.टी.ए. सपठित धारा 136, भू.– राजस्व अधिनियम, बर बिनाय साक्ष्य हर किस्म के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है :–

वादी का सही नाम अमरजीसिंह पुत्र दलीपसिंह है, वादी के नाम से चक 16 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगगानगर के खाता संख्या 14/09 मुरब्बा नम्बर 48 में 3.478 हैक्टर में से 1/5 हिस्सा खातेदारी दर्ज है मगर इस रिकार्ड मे वादी का नाम अमरजीत के स्थान पर अमरसिंह दर्ज किया हुआ है। वादी के नाम राशनकार्ड संख्या 20001568522 आधार कार्ड संख्या 5386 8082 7808, मूल निवासी प्रमाण पत्र तहसीलदार श्रीगंगानगर से बना हुआ है, जिसमें अमरजीतसिंह नाम दर्ज है। वादी के नाम से स्कूल से जो टी.सी. जारी हुआ है उसमें भी वादी के नाम अमरजीतसिंह दर्ज है। जिसकी नकले शामिल वाद पत्र है।

वादी को घर पर बचपन में प्यार से अमरसिंह कहा जाता था इस कारण गलती से राजस्व रिकार्ड में अमरजीतसिंह के स्थान पर अमरसिंह दर्ज हो गया।

दलीपसिंह के अमरसिंह नाम का कोई पुत्र नहीं है केवल वादी ही है, जिसका सही नाम अमरजीत है, अतः उपरोक्त कृषि भूमि को अपनी खातेदारी घोषित करवाना तथा नाम की दुरूस्ती करवाकर अमरसिंह के स्थान पर अमरजीतसिंह करवाना आवश्यक हो गया है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी को चक 16 एफ बड़ा तहसील श्रीगगानगर के खाता संख्या 14/09 मुरब्बा नम्बर 48 के 5.845 हैक्टर में से 3.478 हैक्टर के 1/5 हिस्सा का खातेदार घोषित करते हुए राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त करते हुए अमरसिंह के स्थान पर अमरजीतसिंह दर्ज करनें तथा अन्य समस्त सम्बंधित रिकार्ड में भी अमरसिंह के स्थान पर अमरजीतसिंह दर्ज करनें का आदेश फरमाया जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से दिनांक 30.08.2016 को जबाब दावा प्रस्तुत हुआ, जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि वादी अपना जमाबन्दी में बदलवाना चाहता है। जिसको सिद्ध करनें का भार वादी का है। राज्य हितो को मध्यनजर रखते हुए निर्णय करनें हेतु आवेदित है।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर

दिनांक 06.09.2016 को वादी द्वारा शपथ पत्र तथा गवाह के रूप में गुरमेजसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति मजहबी सिख साकिन मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर प्रस्तुत किये गये। वादीगण का व्यक्तिगत पहचान प्रमाणपत्र, के साक्ष्य का मूल के साथ में मिलान किया गया।

वाद में किसी प्रकार का कोई प्रतिवाद नहीं होनें के कारण तनकियात नहीं बनाई गई दिनांक 20.09.2016 को वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस में प्रस्तुत वादपत्र को दोहराते हुऐ तर्क दिया वादी के पिता दलीपसिंह के अमरसिंह नाम का कोई पुत्र नहीं है केवल वादी ही है, जिसका सही नाम अमरजीत है जिसको घर पर प्यार से अमरसिंह पुकारनें के कारण राजस्व रिकार्ड में नाम की गलती दर्ज हो गई है जिसको दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक है। अतः वाद स्वीकार किया जाकर वादी के नाम की दुरूस्ती में अमरसिंह हटाकर अमरजीतसिंह को खातेदार घोषित किया जावे।

हमने विद्धान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का अवलोकन किया। अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 88, 91 आर.टी.ए. सपठित धारा 136, भू–राजस्व अधिनियम, स्वीकार किया जाकर चक 16 एफ बड़ा तहसील श्रीगगानगर के खाता संख्या 14/09 मुरब्बा नम्बर 48 के 5.845 हैक्टर में से 3.478 हैक्टर भूमि में वादी को 1/5 हिस्सा का खातेदार घोषित करते हुए राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त करते हुए अमरसिंह का नाम कलमजन कर उसके स्थान पर अमरजीतसिंह को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार श्रीगंगानगर को उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किये जानें हेतु लिखा जावे।

उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। यदि वादी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर किसी बैक आदि से ऋण ले रखा हो तो समस्त भार मुक्त होनें पर राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 26.09.2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कैलाशचन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर